


भाग-5

इस वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18.	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग 'ख' या भाग 'ग' या भाग 'घ' में किसी अधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	Recommended for approval
-----	--	--------------------------

दिनांक : 01.12.2018

स्थान : Lucknow


 डॉ० प्रशान्त कुमार वर्मा
 मुख्य वन-संरक्षक/नोडल अधिकारी
 वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
 उ०प्र०, लखनऊ